न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 30.03.2022

...नम्बर 75/2020
...नंबर 2020/00144
...पत्नी बिलाल जाति व्यापारी (मुसलमान) निवासी बिग्गाबास,श्रीडूंगरगढ

–वादी–

बनाम

...जरा पत्नी हुसैन जाति व्यापारी (मुसलमान) निवासी बिग्गाबास, मक्का मस्जिद के पास, श्रीडूंगरगए जिला बीकानेर।
...टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ तहसील कार्यालय, श्रीडूंगरगढ जिलाबीकानेर।

–प्रतिवादीगण–

...स्थिति:–
श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक वादी
श्री ओमप्रकाश पंवार अभिभाषक अप्राथी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र हाजरा ने जरिये अधिवक्ता मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 1 एक ही परिवार की सदस्य है। प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ की रोही में खेत खसरा नम्बर 997/822 मि. तादादी 01 बीघा 9 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 802 तादादी 0.3700 हैक्टेयर ...हुए कृषि भूमि संयुक्त रूप से खरीद की जिसके अनुसार प्रार्थीनी का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा अनुसार प्रार्थीनी का पश्चिमी तरफ व अप्रार्थी संख्या 1 का पूर्वी तरफ कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीनी ने दिनांक 15.05.2008 को खेत खसरा नम्बर 802 तादादी 0.3700 हैक्टेयर रोही मौजा जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित अपने 1/3 हिस्सा में से पश्चिमी तरफ की (60X 60) 3600 वर्गफुट यानि 2.6 बिस्वा कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर दी। जिसका नामान्तरण संख्या 128 दिनांक 19.06.2009 को स्वीकृत किया गया। विक्रय पत्र के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 को बिक्रित 2.06 बिस्वां कृषि भूमि का ही इन्तकाल दर्ज होना चाहिए था परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थीनी का सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा कृषि भूमि का इन्तकाल अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज किया है एवं प्रार्थीनी के अधिकारो के मुकाबले शुन्य, निष्प्रभावी व विधि विरूद्ध दर्ज है। प्रार्थीनी ने अपने हिस्से की कृषि भूमि का सुधार कार्य करवानें हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवायी तब प्रार्थीनी को ज्ञात हुआ कि खेत खसरा नम्बर 802 तादादी 0.3700 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीनी का नाम दर्ज नही है तब प्रार्थीनी ने दिनांक 08.10.2020 को इन्तकाल संख्या 128 की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की तब प्रार्थीनी को पूर्ण जानकारी हुई कि इन्तकाल संख्या 128 के जरिये प्रार्थीनी का सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के नमा दर्ज कर दिया गया है और प्रार्थीनी का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया है। जबकि प्रार्थीनी ने अपने 1/3 हिस्सा में से 2.6 बिस्वा कृषि भूमि ही अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय की थी। प्रार्थीनी की उक्त खेत खसरा नम्बर 802 तादादी 0.3700 हैक्टेयर में 7.066 बिस्वा कृषि भूमि शेष है। ... काल की जानकारी होने पर दिनांक 08.10.20... को अप्रार्थी ... निवेदन किया कि तहसील कार्यालय चलकर खेत के ... और खाता विभाजन करवा लेवे, परन्तु अप्रार्थी ... चलकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने व खाता विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया व धमकी दी कि वह गलत राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाकर प्रार्थीनी को वा... खेत से बेदखल कर प्रार्थीनी का हिस्सा विक्रय कर देगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी के लिए यह आवश्यक हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:23:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

गया है कि वह अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित करवावें। वादगत खेत की रिकार्डेड खातेदार व काबिज कृषक है। अप्रार्थी संख्या 1 गलत राजस्व रिकार्ड की आड में वादगत खेत को विक्रय बैय व हस्तांतरण करने की चेष्ठा में व प्रार्थीनी को वादगत खेत से बेदखल करने व प्रार्थीनी के हिस्से पर कब्जा करने की धमकिया दी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष प्राप्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादगत खेत में प्रार्थीनी की 7.066 बिस्वां कृषि भूमि शेष है जिसका कब्जा उपयोग प्रार्थीनी का चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थीनी का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है। अप्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती करवाने से इन्कार कर दिया है और प्रार्थीनी के हिस्सा की भूमि को हडप करने की धमकियां दी है। अप्रार्थी यदि अपने मंसुबो में कामयाब हो गये तो प्रार्थीनी को भारी असुविधा होगी तथा अहम नुकसान होगा जिसकी पूर्ति की जानी संभव नहीं होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीनी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वह वादगत खेत के मध्य में स्थित प्रार्थीनी के हक हिस्सा की 7.066 बिस्वां कृषि भूमि से प्रार्थीनी को जबरन बेदखल नहीं करें, गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में प्रार्थीनी के हिस्सा की भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करे, विक्रय, बैय अन्य हस्तान्तरण नहीं करें ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य नहीं करे ना ही किसी अन्य से करावें जिससे प्रार्थीनी के वैध अधिकारो पर विपरीत असर पडता हो। तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस की। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब अंकित दोहरातें हुए अपनी बहस की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अप्रार्थी खेत खसरा नंबर 802 के मध्य में स्थित प्रार्थीनी की 7.066 बिस्वां कृषि भूमि से प्रार्थीनी को बेदखल नही करें। ताफैसला वाद अप्रार्थी मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें।

आदेश आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरी रजिस्टर में होकर दाखिल दफ्तर हो

आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:23:09 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)